# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 364/2019 | 21-10-2019 | 29/01/21 |

**उनवान**

संजय लाम्बा पुत्र श्री मंगल सिंह जाति खत्री निवासी ई.जी.-32, आशियाना गार्डन, भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादी

**बनाम**

रोहताश पुत्र रामशण जाट निवासी कालेखां हसील नरवाना जिला जिन्द (हरियाणा)
बलबीर
विजय पुत्रान शेरसिंह अहीर
रूकमणी पत्नी अभयराम अहीर
करणसिंह
देवेन्द्रसिंह पुत्रान अभयसिंह अहीर निवासीगण ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
ज्ञानचन्द पुत्र आत्माराम राजपूत निवासी ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
निर्मला पुत्री अभयराम अहीर निवासी ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
कविता पत्नी अनिल अहीर निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
राज्य सरकार जरिये भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया ाल आराजी खसरा नम्बर 652 रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम धींरियावास पटवार हल्का मसीत तहसील तिजारा अलवर (राज0) में स्थित है। विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की दारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी के 1/6 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/12 भाग मिन वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में का अंकन दरामद है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य आपसी सहमति से आराजी का तौर पर बंटवारा किया हुआ है। वादी विवादित आराजी में अपने आराजी के 1/6 भाग में से 1/2 भाग /12 भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 मुताबिक ी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। मिन वादी का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा

त्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शामलात का अंकन है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लिखित में बाई मिटस बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने भाग की भूमि पर ज व दाखिल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 जोकि मुठमर्द व लडाका किस्म के आदमी है जो कानून की कतई परवाह नहीं करते है। उक्त विवादित आराजी की कीमत बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या गायत 9 के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए मिन वादी, प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से कराने का अधिकारी है तथा वादी तकासमा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व फा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः सरकार बन्द किया गया। उपस्थित वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

वाद में दिनांक 30.01.2020 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को बाई मीट्स एण्ड स बंटवारा स्कीम तैयार कर कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित करने को आदेशित किया गया। तहसीलदार तिजारा ने जरिये मांक भू0अ0/2020/6580 दिनांक 19.02.2020 कुर्रे रिपोर्ट मय तरमीशुद्वा नक्शा प्रेषित की प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट कुलात फरीकैन को सुना गया। वकुलात फरीकैन ने कुर्रे रिपोर्ट अनुसार दावा फाईनल डिकी किये जाने में सहमति जाहिर की। इस प्रकार दावा फाईनल डिकी किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिकी किया जाकर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 652 रकबा 0.98 है0 ाम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। नुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

<u>सारणी</u>

| नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| संजय लाम्बा पुत्र मंगलसिंह जाति खत्री निवासी ई.जी.–32, आशियाना गार्डन, भिवाडी खातेदार | 955/652 | 0.0816 | बारानी 2 |
| रोहताश पुत्र रामशरण जाट सा. कालेखां तह. नखाना जिला जिन्द (हरि.) 1225/8984 हि. बलबीर विजय पुत्रान शेरसिंह 3267/8984 हि. रूकमणी पत्नि व करणसिंह देवेन्द्रसिंह पुत्रान व निर्मलादेवी पुत्री अभयराम 1633/8984 हि0 अहीर सा. जखोपुर ज्ञानचन्द पुत्र आत्माराम 2042/8984 राजपूत सा. देह कविता देवी पत्नी अनिल कुमार 817/8984 अहीर सा. टपूकडा खातेदार | 652 | 0.8984 | बारानी 2 |

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। पर्चा डिकी जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

29/01/21

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 364/2019 | 21–10–2019 | 27/01/21 |

**उनवान**

संजय लाम्बा पुत्र श्री गंगल सिंह जाति खत्री निवासी ई.जी.–32, आशियाना गार्डन, भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

**बनाम**

रोहताश पुत्र रामशण जाट निवासी कालेखां हसील नरवाना जिला जिन्द (हरियाणा)

बलवीर

विजय पुत्रान शेरसिंह अहीर

रूकमणी पत्नी अभयराम अहीर

करणसिंह

देवेन्द्रसिंह पुत्रान अभयसिंह अहीर निवासीगण ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

ज्ञानचन्द पुत्र आत्माराम राजपूत निवासी ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

निर्मला पुत्री अभयराम अहीर निवासी ग्राम जखोपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

कविता पत्नी अनिल अहीर निवासी ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**–:: पर्चा डिकी ::–**

विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 652 रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा जिला (राज0) का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड हाल में अमल हो।

K

# सारणी

| नाम' खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| संजय लाम्बा पुत्र मंगलसिंह जाति खत्री निवासी ई.जी.–32, आशियाना गार्डन, भिवाडी खातेदार | 955/652 | 0.0816 | बारानी 2 |
| रोहताश पुत्र रामशरण जाट सा. कालेखां तह. नखाना जिला जिन्द (हरि.) 1225/8984 हि. बलबीर विजय पुत्रान शेरसिंह 3267/8984 हि. रूकमणी पत्नि व करणसिंह देवेन्द्रसिंह पुत्रान व निर्मलादेवी पुत्री अभयराम 1633/8984 हि0 अहीर सा. जखोपुर ज्ञानचन्द पुत्र आत्माराम 2042/8984 राजपूत सा. देह कविता देवी पत्नी अनिल कुमार 817/8984 अहीर सा. टपूकडा खातेदार | 652 | 0.8984 | बारानी 2 |

कसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)